ग्रामीण महिला विकास संस्थान

GMVS

वार्षिक प्रतिवेदन 2011-12

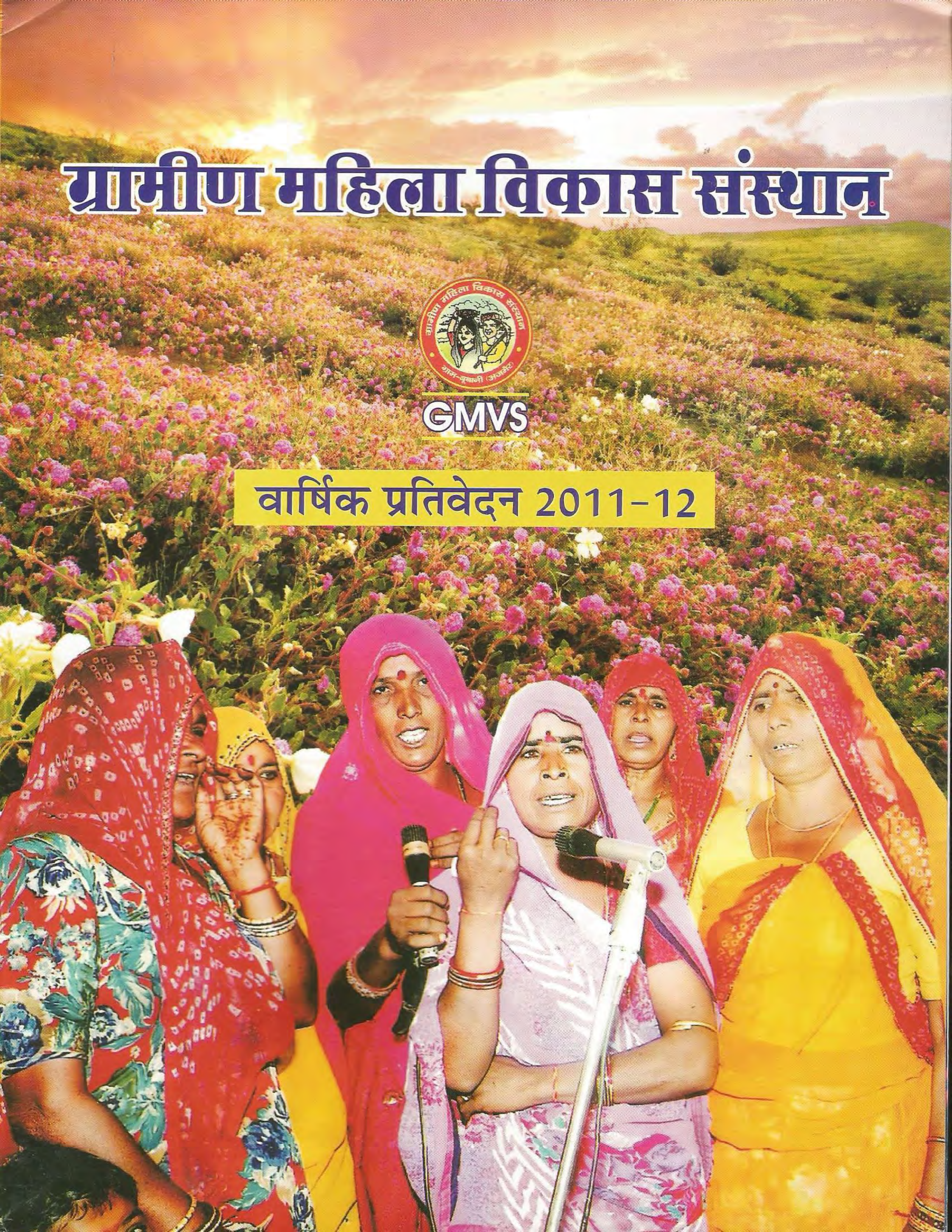

विकास की कतिपय झलकियाँ

महिला मेला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमति नसीम अख्तर इंसाफ़, शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को सम्बोधित करते हुए।

फैडरेशन की महिलाओं एवं बैंकर प्रतिनिधि के साथ सचिव शंकर सिंह रावत चर्चा करते हुए।

विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय मुहामी के छात्र/छात्राओं का मूल्यांकन करते हुए श्री राजेन्द्र सिंह पंवार फील्ड अधिकारी (एन.सी.एल.पी.)

एस.एच.जी. बैंक लिकेज कार्यक्रम में सम्पूर्ण राजस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु नाबार्ड जयपुर द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया।

बाल श्रमिक विद्यालय, मुहामी के छात्र/छात्राएं बाल श्रम विरोधी रैली निकालते हुए।

एस.एच.जी. में उत्कृष्ट कार्य करने पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एवं नाबार्ड अधिकारी द्वारा श्रीमती मीरा देवी फेडरेशन सचिव को सम्मानित करते हुए।

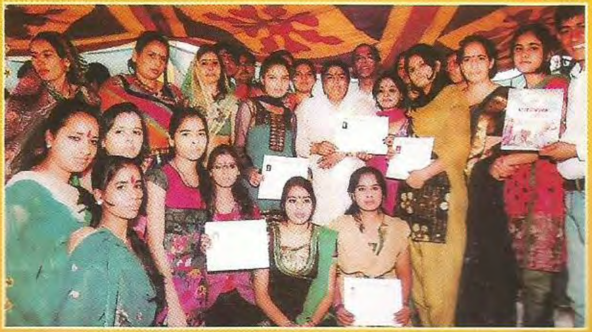

बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण में महिलाओं को प्रमाण पत्र देते हुए श्रीमति नसीम अख्तर इंसाफ़, शिक्षा राज्य मंत्री।

रुम टू रीड पुस्तकालय कार्यक्रम के तहत बाल मेले पर छात्र/छात्राएं रंगोली बनाते हुए।

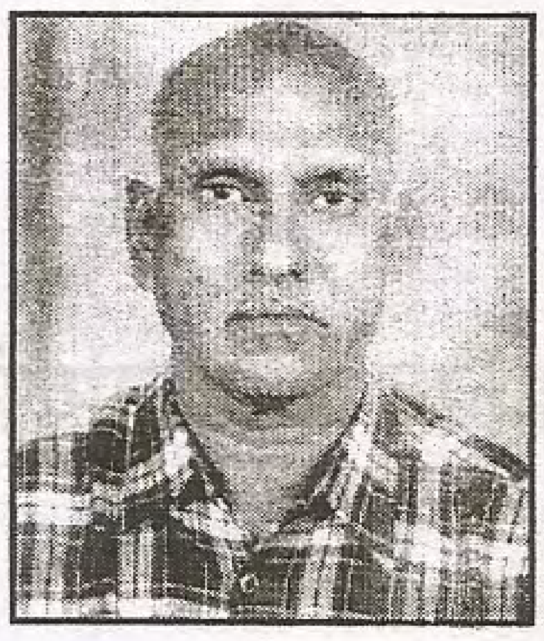

अध्यक्षीय सम्बोधन

शासन में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित हो, पारदर्शी हो और शासक शासितों के प्रति उत्तरदायी बने तथा सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, तभी सच्चा प्रजातंत्र बनेगा। विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शासन पर निगरानी रखना महत्त्वपूर्ण है। विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साक्षरता व बाल मृत्यु दर में कमी, मातृत्व मृत्यु दर में कमी, गरीबी में कमी तथा बेरोजगारी का निवारण आवश्यक है।

गरीबी निवारण के लिए हमारे पास ज्ञान व संसाधन दोनों हैं। वास्तविक समस्या तो मानव जाति का धनवानों और गरीबों में किया गया विभाजन है, जो दु:ख और तिरस्कार पैदा करता है। महिलाएँ गरीबी का सर्वाधिक शिकार होती हैं, फिर वह ग्रामीण हों या शहरी। असमानता से महिलाएं वंचित बन जाती हैं और उनकी पूरी जिन्दगी के दौरान वे वंचित रहती हैं तथा उनके विकास के अवसर दब जाते हैं। बढ़ती शहरी व ग्रामीण गरीबी में महिलाएँ बहुत ज्यादा है। गरीब, एकाकी महिलाएं उन्हीं का एक हिस्सा है, क्योंकि वे कहीं जा नहीं सकतीं। उनके पास सीमित विकल्प होते हैं। कम शिक्षा और खराब स्वास्थ्य उनकी क्षमताओं पर विपरीत प्रभाव डालते हैं तथा इससे रोजगार पाने की उनकी क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। महिलाओं में क्षमता अभाव के कारण वे बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में अधिक नि:सहाय बनती है। संस्था द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने के प्रयास किये, जिससे वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकें। गरीबी उनके लिए एक अभिशाप न बन जाये।

संस्था ने अपने कार्यक्षेत्र के लोगों के स्नेह एवं मार्ग-निर्देशन में बेहतर परिणाम पाये हैं। यह प्रतिवेदन उनका प्रतिबिम्ब मात्र है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि पूर्व की भांति आगे भी आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा, जिससे संस्था निरन्तर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकने में सफल सिद्ध होगी।

(अनिल कुमार माथुर)
अध्यक्ष

सचिव की कलम से .....

विकास का अर्थ होता है लोगों का विकास करना। सड़क, मकान, फसल के उत्पादन में वृद्धि और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि विकास नहीं है। ये तो विकास के मात्र साधन हैं। स्कूलों के भवनों में हुई वृद्धि तभी मानी जाएगी जब स्कूल भवनों का उपयोग लोगों के मन के विकास के लिए तथा लोगों की समझ बढ़ाने में हो। कृषि उत्पादन में वृद्धि जब ही सार्थक है जब वह लोगों को अधिक पोषण की ओर ले जाए।

भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं जो चिंताजनक है। किसान अब खेती में स्वरोजगार पाने वाले नहीं रहे हैं। छोटे व सीमांत किसानों की यही हालत हुई है। इनमें से कुछ ने कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ाई है कुछ शहर में जाकर मजदूरी करने लगे हैं। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में कुछ कमी आई होगी। परन्तु इसका असर असमान ही रहा है और आय की असमानता में ही वृद्धि हुई है।

इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में उन्नति करना चाहता है। आज चुनौतियां बढ़ रही हैं। हमारा लक्ष्य समाज को उच्च तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रसार के द्वारा उन्नति की ओर ले जाना है। देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ऐसे में स्वैच्छिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण साबीत हो रही है जो निरन्तर समाज को विकास की गति दे रही है। संस्था को सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को आर्थिक, व्यक्तिक सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला उसके लिए संस्था उनकी हमेशा आभारी रहेगी।

(शंकर सिंह रावत)
सचिव

ग्रामीण महिला विकास संस्थान - बूबानी, अजमेर (राज.)

वार्षिक प्रतिवेदन : वर्ष 2011-2012

पृष्ठभूमि

ग्रामीण महिला विकास संस्थान मानव समाज विषयक उद्देश्य विशेष के लिए गठित स्वैच्छिक संगठन है, जो वृहद् स्तर पर ग्रामीण समुदाय के साथ उनके सामाजिक सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्द्धन के लिए कार्य कर रही है। संस्था विविध और व्यापक स्तर पर जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दे आदि पर 1997 से कार्यक्रम संचालित कर रहा है। वर्तमान में संस्था अजमेर ज़िले की श्रीनगर, सिलोरा, भिनाय और केकडी पंचायत समिति के 400 गांवों में कार्यरत है।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान, राजस्थान संस्था पंजीकरण सोसायटी अधिनियम 1958 की धारा 28 के तहत एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-ए व 80-जी के तहत तथा एफ.सी.आर.ए. एक्ट 1976 के अधीन पंजीकृत है।

विज़न

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पेयजल, रोज़गार के विकल्प उपलब्ध करना।

मिशन

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा हेतु विद्यालयों का निर्माण, टीकाकरण व स्वास्थ्य जानकारी द्वारा बेहतर स्वास्थ्य, पौधारोपण के प्रति जागरुकता व देखभाव व पर्यावरण संरक्षण करना।

संस्था के उद्देश्य

- समस्याग्रस्त गाँवों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करने में ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करना एवं विशेषतोर से महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता लाना।
- महिला विकास व सशक्तिकरण में ग्रामीण महिलाओं की रुचि पैदा करना तथा महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
- किसानों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी देना एवं कृषि के लिए प्रेरित।
- नवयुवकों को कम्प्यूटर शिक्षा के लिए जागरुक करना।
- ग्रामीण लोगों का बीमा से जुड़ाव कर जोखिम कम करना।
- बालश्रम रोकथाम के लिए लोगों को जागरुक करना।
- नरेगा के लिए ग्रामीणों को जानकारी उपलब्ध करवा के लोगों को जागरुक करना।
- ग्रामीणों को पशुपालन के लिए प्रेरित करना।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधों के महत्व के प्रति लोगों को जागरुक करना।

- मृदा संरक्षण के उपाय के लिए ग्रामीणों को जानकारी देना व नई-नई तकनीकों का प्रयोग करना।
- महिला व बाल विकास कार्यक्रम का संचालन व लोगों की जागरुकता हेतु बैठकों का आयोजन करना।
- बेहतर शिक्षा हेतु विद्यालयों एवं पुस्तकालयों की स्थापना करना।
- ग्रामीण दस्तकारी को बढ़ावा देने में सहयोग करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने हेतु खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नियमानुसार ऋण प्राप्त करवाना।
- संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों को प्रचारित करना किताबों का मुद्रण एवं प्रकाशन तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना।

स्वयं सहायता समूह फेडरेशन का संवर्धन एवं लघुवित्त कार्यक्रम का एकीकरण

(Promotion of Self-Help Group (SHG) Federation and Consolidation of Micro Finance Programme)

पृष्ठभूमि

सर रतन टाटा ट्रस्ट मुम्बई के वित्तिय सहयोग व सेन्टर फॉर माईक्रोफाइनेन्स जयपुर के मार्गदर्शन में ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी अजमेर द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण महिला जाग्रति फेडरेशन संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अजमेर जिले की श्रीनगर व सिलोरा पंचायत समिति के 10 ग्राम पंचायतों के 29 गाँवों में संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) का राजस्थान सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत है।

वर्ष 2011-12

कुल ग्राम पंचायत	कुल गाँव	कुल समूह	कुल सदस्य
10	28	175	1975

लक्ष्य

ग्रामीण महिला जाग्रति फेडरेशन दाता का लक्ष्य है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन और बेरोजगार समुदाय की महिलाओं को समूह के माध्यम से क्षमता वर्धन और स्वालम्बी बनाना जिससे कि गरीब व अनपढ़ महिलाएं आत्मनिर्भर बने, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास आ सके इस फेडरेशन का संचालन आत्मविश्वास से कर सके।

समूह

10 से 20 महिलाएं आर्थिक व सामाजिक रूप से समान हो उनको एक छोटे से संगठन में एकत्रित करके बचत करने के लिए प्रेरित करना है।

क्लस्टर

(10-20 समूह) दो या तीन गाँवों के समूहों को मिलाकर एक समूह बनाकर समूहों को मजबूत करना व समूहों की समस्याओं को सुलझाना क्लस्टर का मुख्य कार्य है। समूह के लिए लोन व आजीविका गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिलवाना आदि।

फेडरेशन

फेडरेशन ग्रामीण महिलाओं का एक संगठन है, जो स्वयं महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जा रहा है जिसमें महिलाऐं स्वयं निर्णय लेती हैं कि फेडरेशन को क्या कब कैसे कार्य करना चाहिए।

उद्देश्य

- महिला समूहों का एक आदर्श मॉडल प्रदर्शित करना।
- महिलाओं की सरकारी एवं पंचायतीराज के कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना।
- महिलाओं की आजीविका वर्धन के लिए संस्थाओं को साधन उपलब्ध करवाना।
- फेडरेशन से जुडी महिलाओं को लोन दिलाकर स्वरोजगार से जोड़ना।
- आजीविका को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के विकास एवं प्रबन्धन हेतु फेडरेशन से जुडी महिलाओं की क्षमता में वृद्धि करना।
- महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सक्षम बनाना।
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बनाना।
- फेडरेशन की महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य से जोडना।

रणनीति

- फेडरेशन से जुड़ी महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित कर आत्मनिर्भर बनाना।
- आजीविका को बेहतर बनाने के लिए पशुपालन, कृषि व स्वरोजगार में तकनीकी व गुणवता में सुधार करना।
- महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, अधिकार स्वास्थ्य व कानून जैसे मुद्दों पर कार्य करने का प्रयास करना।
- फेडरेशन से जुडी महिलाओं को स्वयं के द्वारा इस संगठन को संचालित करना।

गतिविधियाँ

समूह क्लस्टर व फेडरेशन बैठक

ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा संचालित ग्रामीण महिला जाग्रति समिति दांता के सभी समूह क्लस्टर व फेडरेशन की मासिक बैठक होती है। समूह स्तर पर बचत, लोन, बीमा आजीविका कार्यों की गतिविधि की जा रही है। क्लस्टर स्तर पर समूह में उत्पन्न खामियों व समस्याओं का निपटारा व समूहों को बैंक

लोन दिलवाकर समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।

समूह प्रशिक्षण

ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) से जुडे नये गठित समूहों का आमुखीकरण प्रशिक्षण देना जिससे समूह की अवधारणा को ग्रामीण व अनपढ़ महिलाऐं भलींभांति से जान सके सही प्रकार से समूह का संचालन करना।

क्लस्टर प्रशिक्षण

ग्रामीण महिला जाग्रति फेडरेशन के द्वारा संचालित क्लस्टरों को आजीविका गतिविधियाँ हेतु प्रशिक्षण दिलवाना व क्लस्टरों में उन महिलाओं को तैयार करना जो फेडरेशन का नेतृत्व कर सके।

फेडरेशन प्रशिक्षण

फेडरेशन से जुडे सदस्यों को फेडरेशन किस प्रकार से संचालित किया जाता है और फेडरेशन को आजीविका गतिविधियों को चुनाव करके अपने समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित करवाना उसी प्रकार से फेडरेशन समूहों से निकलने वाली गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

फेडरेशन द्वारा भ्रमण

ग्रामीण महिला जाग्रति समिति (फेडरेशन) दांता द्वारा समूह के सदस्यों को दो अलग-अलग क्षेत्र में संचालित फेडरेशनों का भ्रमण करवाया गया और महिलाओं को बताया गया की आजीविका व समूह के लिए आगामी समय में फेडरेशन द्वारा क्या-क्या गतिविधियाँ करनी होगी। ग्रामीण महिला जाग्रति फेडरेशन से जुडे परिवारों के लिए सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करना आदि की कार्ययोजना भी संस्थान द्वारा बनाई गई।

लोन मेले का आयोजन

ग्रामीण महिला जाग्रति फेडरेशन दांता के द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से जोडकर तीन लोन मेलों का आयोजन भी किया गया। प्रत्येक लोन मेले में 25 से 30 समूहों के लोन दस्तावेज एक दिन में एक स्थान पर बैंक कर्मचारियों द्वारा पूर्ण किये गया और लोन दिया गया था।

चेक वितरण कार्यक्रम समारोह

ग्रामीण महिला जाग्रति फेडरेशन दांता के द्वारा संचालित समूहों का लोन चेक वितरण दो समारोह का भी आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हो कर महिलाओं को बैंक लोन सही प्रकार से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और समय पर बैंक लोन चुकौती करने की जानकारी भी दी गई।

क्लस्टर आम सभा का आयोजन

ग्रामीण महिला जाग्रति फेडरेशन दांता के सभी दस क्लस्टरों की आम सभा की गई जिसमें क्लस्टर के सभी समूहों के सदस्यों को एक मंच पर एकत्रित करके क्लस्टर स्तर पर समूहों कि स्थिति का मूल्यांकन भी किया गया था और समूह सदस्यों को क्लस्टर की गतिविधि के बारे में जानकारी दी गई।

अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस

ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी व ग्रामीण महिला जाग्रति फेडरेशन के द्वारा फेडरेशन के कार्यक्षेत्र ग्राम पिंगलोद में अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला मेला आयोजन किया गया। इस मेले में प्रात: 11:00 बजे से महिलाओं का आगमन हुआ। मेले में फेडरेशन से जुडी महिलाओं ने भाग लिया। मेले का शुभारम्भ शिक्षा राज्यमंत्री नसीम अख्तर द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। मेले में आये अतिथियों का ढोल बजाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभी को राजस्थान रीति-रिवाज से तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया गया।

महिला मेले में राजस्थान शिक्षा मंत्री श्रीमति नसीम अख्तर महोदया ने महिला मेले में भाग ले कर महिलाओं का उत्साह वर्द्धन किया इस अवसर पर शिक्षामंत्री ने महिलाओं को बालिका शिक्षा पर जोर देते हुऐ कहा कि बालिकाओं को अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ें ताकि आने वाली हर पीढी शिक्षित हो सके और समाज में महिलाओं को मान-सम्मान के साथ कार्य करे। इसके साथ ही यह भरोसा दिलवाया कि ग्रामीण महिला जाग्रति फेडरेशन कि महिलाओं के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहेगी।

फेडरेशन वार्षिक प्रगति रिपोंट 2011-2012

सर रतन टाटा ट्रस्ट मुम्बई के वित्तिय सहयोग व सेन्टर फॉर माईक्रोफाईन्स जयपुर के मार्गदर्शन के व ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी द्वारा संचालित फेडरेशन कार्यक्रम में संस्थान 2011-2012 में 175 महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा गया है संस्थान द्वारा ग्रामीण महिला जाग्रति समिति फेडरेशन दांता का रजिस्ट्रेशन राजस्थान सोसायटी एक्ट में करवाया गया है। संस्थान द्वारा फेडरेशन कार्यक्रम फरवरी 2011 से पंचायत समिति श्रीनगर व सिलोरा के 28 गाँवों में संचालित किया जा रहा है इस एक वर्ष के दौरान किये गये निम्नलिखित गतिविधियां हैं।

समूह गठन

संस्थान द्वारा फेडरेशन कार्यक्रम की शुरूआत 125 स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर की थी इसका मुख्य कारण था कि जो स्वयं सहायता समूह फेडरेशन के नियम व शर्तों को मानने के लिए तैयार हो वो ही समूह फेडरेशन कार्यक्रम से जुड़े थे। उन समूहों से 250 रुपये प्रति समूह फेडरेशन समूह सदस्यता शुल्क ली गई थी। इसके साथ-साथ समूहों की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा गया था।

संस्थान ने फेडरेशन कार्यक्रम में एक वर्ष में 50 नये स्वयं सहायता समूहों को गठन किया था इन समूहों का गठन फेडरेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है और फेडरेशन में मार्च 2012 तक 175 स्वयं सहायता समूह गठित हो चुके हैं।

बचत

संस्थान द्वारा फेडरेशन कार्यक्रम में शुरूआत में 125 स्वयं सहायता समूहों की कुल बचत 1976075 रुपये थी लेकिन नये समूह गठन व पुराने समूहों की बचत में बढ़ोतरी करके एक वर्ष में कुल बचत 175 स्वयं सहायता

समूहों 4534360 रुपये हो गई थी इसके साथ-साथ संस्थान ने समूहों को बचत बढोतरी के लिए समूहों को प्रेरित करने का कार्य भी किया गया था।

समूह बचत खाता

ग्रामीण महिला जाग्रति फेडरेशन कार्यक्रम में 175 स्वयं सहायता समूह में से 171 समूहों के लिए उनके बचत खाते खुलवाये गये हैं यह बचत खाते क्षेत्रीय बैंकों में खोले गये ताकि समूह आसानी से बैंक से लेन-देन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ समूहों के साथ मिलकर कैसे कार्य कर सकती है फेडरेशन से जुडे समूह सदस्यों को बैंक से जोडकर लोन भी उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किया गया था।

बैंक लोन

फेडरेशन से जुडे समूहों को बैंक से जोडकर बैंक लोन दिलवाने के लिए संस्था व फेडरेशन ने एक वर्ष में 117 स्वयं सहायता समूहों को बैंक लोन दिलवाया गया था। यह लोन समूह सदस्य अपनी आजीविका की गतिविधियों के उपयोग हेतु लिया गया था फेडरेशन से जुड़े समूहों को सबसे ज्यादा बैंक लोन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा दिलवाया गया है, जिससे फेडरेशन के समूहों से शत-प्रतिशत रिकवरी हो रही है। फेडरेशन से जुडे समूहों को बैंक लोन के लिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक आगे हो कर समूहों को लोन देने के लिए तैयार है।

जोखिम न्यूनीकरण परियोजना
RISK MATIGATION PILOT PROJECT

पृष्ठ भूमि-

ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी अजमेर द्वारा कार्य क्षेत्र में लघुबीमा का भी कार्य कर रही है। जिससे संस्थान गरीब परिवार जो कि साधारण बीमा नहीं करवा सकती है यहां बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम व बजाज एलियानस कम्पनी से जुड़कर जो लोग बीमा से वंचित हैं। उन गरीब परिवारों को बीमा से जोडना और उनका जोखिम को कम करने का कार्य भी संस्थान द्वारा पिछले 4-5 सालों से किया जा रहा है।

उद्देश्य

- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है समूह के सदस्यों को बीमा से जोडकर उनका जोखिम कम करना।
- लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी से प्रेरित करना जो सदस्य पाने के हकदार हैं उनको योजना से जोडने में सहयोग करना।

गतिविधि

- जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम में महिला में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों व उनके परिवार के सदस्यों का जोखिम कम करने के लिए बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजना से जोडना इत्यादि।

बीमा

संस्थान जिन लोगों के साथ कार्य कर रही है जो आर्थिक व सामाजिक राजनैतिक दृष्टि से पिछडे हुए हैं,

और अशिक्षित होने के कारण भी यह समुदाय में पिछडे जाते हैं, उनको जागरूक करके बीमा के बारे में जानकारी देना व उनके हित में कम राशि में ज्यादा जोखिम को उनके साथ तालमेल बैठा कर लोगों को बीमा से जोडना। संगोष्टी के माध्यम, शिविर नुक्कड नाटक प्रशिक्षण से फेडरेशन के द्वारा इत्यादि कारणों से जानकारी देना इत्यादि।

सामाजिक सुरक्षा योजना

संस्थान ने अजमेर जिले की चार पंचायत समितियों के महिलाओं को किसानों विधवाओं व वृद्धों के साथ कार्य कर रही है इसलिए जो लोग योजना पाने के हकदार हैं। उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोडने में संस्थान सहायता करती है और लोगों को योजना से जोडकर उनकी आजीविका वर्द्धन में सहायता प्रदान करती है।

परियोजना प्रभाव

ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी के द्वारा व सर रतन टाटा ट्रस्ट के वित्तिय सहयोग से जोखिम न्यूनीकरण परियोजना संचालित करने से लोगों को बीमा व सामाजिक सुरक्षा योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है।

उपलब्धियाँ

जोखिम न्यूनीकरण परियोजना में निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की।

- लोग जागरूक हुए।
- महिला समूह, किसान क्लब, संयुक्त देयता समूह के सदस्य को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलने लगी है।
- फेडरेशन को कार्य करने का एक मुद्दा भी मिल गया है।
- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाऐं अपने-अपने अधिकारों को जानने लगी हैं।
- लोगों का योजनाओं और बीमा से जुडाव होने लगा।

जोखिम न्यूनीकरण परियोजना

संस्थान 2011-12 में 2260 लोगों को जीवन बीमा से जोडा है इसके अलावा 29 परिवारों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना से भी जोडने में सहायता की थी इसके अलावा संस्थान समय-समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए शिविरों, नुक्कड नाटकों व संगोष्ठी के माध्यम से प्रचार करती रही है लोग जागरूक हुए हैं। बीमा व सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में।

संस्था की आगामी सोच

ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी आगामी दो तीन साल में संस्थान के सभी महिला स्वयं सहायता सदस्यों को बीमा से जोड़ना है। संस्थान जिस बीमा कम्पनी से जुडकर बीमा कर रही है उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम, बजाज आदि कम्पनीयों से बीमा करवा रही है।

शिक्षा कार्यक्रम

पुस्तकालय कार्यक्रम (Reading Room Programme)

पृष्ठभूमि

रूम टू रीड इण्डिया, जयपुर के वित्तिय सहयोग द्वारा पुस्तकालय कार्यक्रम 2008 केकडी पंचायत समिति के 18 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व पुस्तकालय कार्यक्रम 2009 भिनाय पंचायत समिति के 24 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को

- शिक्षा से जोड़ने
- उनमें पढ़ने की प्रति रूचि पैदा करने
- भाषा विकास करना
- बच्चों की लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने हेतु रूम टू रीड द्वारा कहानी, कविता, खेल गतिविधियों व पहेलियों वाली ज्ञानवर्धक रंगीन चित्रों से युक्त पुस्तकें उपलब्ध करवायी गयी हैं जिनका लेन-देन पुस्तकालय प्रगति प्रेरक, बालसमिति के सदस्य द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ने के लिए उपलब्ध करवायी जाती है जिससे बच्चों की पुस्तकालय में रूचि बनी रहे। पुस्तकालय कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को 1200 से 1500 पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई।

कार्यक्रम का उद्देश्य

- बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास करना।
- बच्चों की भाषा विकास करना।
- बच्चों को स्वतन्त्र पाठक बनाना
- बच्चों में छुपी हुई रचनात्मक प्रवृत्तियों को उजागर कर एक मंच देना।

परियोजना गतिविधियां

पुस्तकालय कार्यक्रम 2008 पंचायत समिति केकडी के तृतीय चरण व पुस्तकालय कार्यक्रम 2009 पंचायत समिति भिनाय के तृतीय चरण के अन्तर्गत इस वर्ष पुस्तकालय कार्यक्रम से सम्बन्धित उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं इसके व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए वार्षिक गतिविधि कार्य योजनानुसार निम्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

स्टेशनरी सप्लाई

पुस्तकालय कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को व्यवस्थित रूप से गतिविधि करवाने हेतु पुस्तक लेन-देन रजिस्टर तथा पुस्तकालय सम्बन्धित दस्तावेजों में रजिस्टर, मोम कलर, पेन्सील, शॉपनर, रबड़, डिस्पेस्नर, गोंद, फेवीकाल, थर्माकोल, डोरी, कैंची, स्टेपलर, स्टाम्प पेड इत्यादि स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध करवाई गई।

प्रशिक्षणों का आयोजन

पुस्तकालय व्यवस्थित संचालन व पुस्तकालय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण दिये गये जिससे प्रभारी अध्यापक, प्रधानाध्यापक प्रेरक बाल समिति प्रशिक्षण मुख्य है उक्त प्रशिक्षण सर्वशिक्षा अभियान ऑफिस व संस्थान ऑफिस एवं अन्य स्थान पर भिन्न-भिन्न समय में आयोजित किये गये।

विशेष गतिविधियाँ

पुस्तकों के प्रति बच्चों में रूचि को बनाए रखने और कुछ नया सीखने सिखाने के लिए इस वर्ष पुस्तकालय की विशेष गतिविधियों के अन्तर्गत, विश्व साक्षरता दिवस, बाल मेला, बाल समिति कार्यशाला, समर कैम्प एवं बाल पत्रिका निर्माण आदि गतिविधियाँ की गई।

बैठकों का आयोजन

पुस्तकालय व्यवस्थित संचालन एवं बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने हेतु पुस्तकें उपलब्ध करवाने पुस्तकालय संचालन में अध्यापकों का सहयोग लेने, पुस्तकालय से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान व सुझावों पर समय-समय पर कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल समिति ग्रामस्तरीय, विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक, पाक्षिक व त्रैमासिक बैठकों एवं जिला टास्कफोर्स, स्टेयरिंग कमेठी बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम अन्तर्गत अन्य गतिविधियों का आयोजन करने एवं वार्षिक कार्ययोजना से ब्लाक शिक्षा अधिकारी से ब्लॉक स्तर पर नियमित सम्पर्क किया गया तथा कार्यक्रम जानकारी हेतु सम्पर्क किया गया।

पुस्तकालय प्रभारी प्रशिक्षण

पुस्तकालय से सम्बन्धित तथ्यों पर प्रधानाध्यापकों की समझ विकसित करने एवं पुस्तकालय प्रभारी शिक्षकों को पुस्तकालय संचालन के लिए चार दिवसीय पुस्तकालय प्रभारी एवं एक दिवसीय प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

सहजकर्ता प्रशिक्षण

पुस्तकालय संचालन सम्बन्धित बच्चों एवं अध्यापक से सीधा जुडाव रहता है। पुस्तकालय कार्यक्रम के प्रति उनकी समय को बढाने एवं सम्बन्धित गतिविधियों की जानकारी देने के लिए इस वर्ष दो सत्रों में सहजकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य रूप से पुस्तकालय कार्यक्रम तृतीय वर्ष कार्यक्रम हैण्डओवर किया गया तथा 2009 पुस्तकालय कार्यक्रम हैण्ड-ओवर के संदर्भ में जानकारी दी गई।

मासिक एवं पाक्षिक बैठक

पुस्तकालय संचालन में सहयोग देने एवं पुस्तकालय कार्यक्रम सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए कार्यकर्त्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए हर माह मासिक एवं पाक्षिक बैठकों का आयोजन किया गया जिससे समस्याओं के समाधान हेतु कार्य योजना बनाई एवं कार्य किया गया।

बाल समिति बैठक

पुस्तकालय कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में पुस्ताकालय व्यवस्थित संचालन हेतु बाल समिति का

गठन किया जिसमें:-

कक्षा	1	2	3	4	5	योग
बच्चे	1	1	3	3	3	11

11 सदस्यों की बाल समिति की प्रतिमाह पुस्तकालय की उपस्थित में बैठक की गई जिसमें पुस्तकालय से सम्बन्धित समस्याओं एवं उपलब्धियों पर चर्चा की गई तथा हर त्रैमासिक में समिति सदस्यों में परिवर्तन किया गया जिसमें अधिकांश बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी समझी एवं समुदाय एवं बच्चों को पुस्तक लेन-देन किया जिसमें पुस्तकालय में पुस्तकों का नियमित लेन-देन हुआ।

विश्व साक्षरता दिवस

पुस्तकालय कार्यक्रम अन्तर्गत बच्चों का पुस्तकों से जुडाव बनाये रखने हेतु शिक्षा के प्रति समझ विकसीत करने के लिए एक मनोरंजन वातावरण देने के लिए 8 सितम्बर को विश्व साक्षरता दिवस बनाया गया जिसमें समुदाय को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने व अपने बच्चों को पढ़ाने हेतु रैली लघु नाटक के माध्यम से प्रेरित किया गया जिसे विश्व साक्षरता सप्ताह के रूप में सभी विद्यालयों में मनाया गया।

बाल मेला

पुस्तकालय कार्यक्रम की वार्षिक गतिविधि के रूप में बाल मेले का आयोजन 14 नवम्बर को सभी विद्यालयों में बाल मेला मनाया गया जिसमें बच्चों को कहानी, कविता सुनाना, चित्रकला, रंगोली, मिट्टी के खिलौने बनवाना पेन्टींग करना आदि गतिविधियां करवाई गई।

बाल समिति प्रशिक्षण

पुस्तकालय कार्यक्रम अन्तर्गत पुस्तकालय के बेहतर संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय की बाल समिति के चार-चार बच्चों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण दो सत्रों में आयोजित किया प्रशिक्षण में बच्चों ने पुस्तकालय संचालन में आने वाली समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया सीखी एवं विभिन्न गतिविधियों के बारे में समझ विकसीत की गई।

समर कैम्प आयोजन

ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों की पुस्तकालयों के प्रति रूचि बनाये रखने हेतु प्रत्येक विद्यालय में तीन दिवसीय समर कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें समुदाय, बच्चों, प्रभारी अध्यापक-सहजकर्ताओं ने भाग लिया शिविर में बच्चों को खेल गतिविधियां, कविता, कहानियाँ सुनना-सुनाना काहनी लेखन करवाना।

रचनात्मक कार्य करवाना

मिट्टी के खिलौने बनाना, पेपर मैसी कार्य - कपड़े पर पेन्टींग करना, लघुनाटक तैयार कर प्रस्तुत करना आदि कार्य किया गया। अधुरी कहानी पूरी करना, शब्द से कहानी बनाना कहानी कतरन कार्य आदि किया गया जिसमें बच्चों को बहुत आनन्द आया। फटी पुस्तकों की छटाई की गई एवं मरम्मत कार्य किया गया।

निरीक्षण

पुस्तकालय के नियमित एवं व्यवस्थित संचालन के लिए रूम-टू-रीड जयपुर के कार्यक्रम अधिकारी संस्था स्तर पर संस्था सचिव, अध्यक्ष, परियोजना समन्वयक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सरपंच एवं समुदाय के लोगों द्वारा पुस्तकालयों का अवलोकन किया जिससे बाल समिति सदस्य एवं अन्य बच्चों को सक्रिय करने हेतु अध्यापकों के सहयोग, पुस्तकालय कालांश व्यवस्था एवं पुस्तकालय सम्बन्धि गतिविधियों एवं पुस्तकालय दस्तावेज पुस्तकालय कक्ष, साज-सज्जा आदि गविविधियों पर ध्यान दिया गया साथ ही पुस्तकालय संचालन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास कर समस्या समाधान करवाया गया।

उपलब्धियाँ

- प्रत्येक बच्चे का पुस्तकालय पुस्तकों से जुडाव हुआ।
- बच्चों की मौखिक लिखित अभिव्यक्ति विकसीत हुई।
- बच्चों में गतिविधियों के प्रति समझ विकसीत हुई जिससे सोचने समझने एवं तर्क वितर्क करने की क्षमता वृद्धि हुई।
- बच्चों का विद्यालय में ठहराव बढ़ा।
- बच्चों में सहज एवं सरल पद्धति से भाषा विकास में सहयोग मिला है।
- बाल समिति का विभिन्न गतिविधियों में सहयोग तथा बाल समिति अपनी जिम्मेदारी जवाबदेह नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ।
- पुस्तकालय कालांश सुनिश्चित व संचालन हुआ।
- बच्चों में चित्र बनाने व अपनी बात रखने की क्षमता का विकास हुआ।
- बच्चों के साथ अच्छा समन्वय स्थापित हुआ।
- पुस्तकालय प्रभारी अध्यापक द्वारा साप्ताहिक कार्ययोजना बनाना व योजनानुसार गतिविधि आयोजित करना।

भागीदारी

- पुस्तकालय संचालन हेतु विद्यालय स्टाफ (प्रभारी अध्यापक) से नियमित सम्पर्क व सहयोग करना।
- प्रशासनिक इकाई के साथ पुस्तकालय सम्बन्धित गतिविधियों के आयोजन के लिए सम्पर्क स्थापित करना।
- कार्यक्रम की प्रगति का अवलोकन कर कार्यकर्त्ताओं को दिशा निर्देश देना।
- बाल समिति द्वारा पुस्तकालय का नियमित संचालन व समुदाय से सम्पर्क स्थापित करना।

शिक्षा कार्यक्रम 2nd
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)

पृष्ठभूमि

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से गठित बाल श्रमिक परियोजना अजमेर के मार्गदर्शन में ग्रामीण

महिला विकास संस्थान पिछले 15 वर्षों से बाल श्रम उन्मूलन हेतु बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन कर रही है। वर्तमान में संस्था द्वारा तीन विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय संचालित है। इसका मुख्य कारण यह है कि अजमेर ज़िले की श्रीनगर पंचायत समिति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। अत: अभिभावक बच्चों को विद्यालय न भेजकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित होटल, रेस्टोरेन्ट एवं ढाबों, किशनगढ़ के आस-पास के क्षेत्र में संचालित पावरलूम, ईंट भट्टा और खानों में पत्थर तुड़ाई में काम करने भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें इन उद्योगों से हटाकर शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना आवश्यक हो जाता है।

अत: संस्था ऐसे बच्चों को वहां से हटाकर इन विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उनकी उम्र एवं स्तर के अनुसार आगामी तीन वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराते हुए उच्च कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ रही है। शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे अपनी व्यवसायिक कुशलता का विकास कर सकें।

बाल श्रम कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- बच्चे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर, उनका अधिकार शिक्षा प्राप्ति है न कि आजीविका कमाना।
- बाल श्रम समस्या, देश के समक्ष कठिन चुनौती।
- देश में वयस्क बेरोज़गारों की संख्या एवं कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या लगभग समान है।
- बाल श्रम के बुरे नतीजों के प्रति माता-पिता की अज्ञानता।
- संविधान एवं श्रम कानूनों के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कार्य करने पर रोक।
- अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की प्रतिष्ठा दांव पर, उत्पादों के निर्यात में कठिनाई।
- बाल श्रम के परिणाम स्वरूप वयस्क बेरोज़गारी, अशिक्षा और निर्धनता का घातक दुष्चक्र, राष्ट्र की प्रगति पर विपरीत प्रभाव।

गतिविधियाँ

- व्यवसायिक शिक्षा
- स्वास्थ्य परीक्षण
- बाल श्रम विरोधी रैलियां
- प्रतिदिन पोषाहार
- राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियों का आयोजन
- दान दाताओं का योगदान
- स्टाईफण्ड
- मासिक मूल्यांकन
- मासिक अभिभावक बैठकें
- जन श्री बीमा योजना जुडाव
- खेल-कूद

शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ाव

संस्थान द्वारा इन बच्चों को विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय में तीन वर्षों तक अध्ययन करवाकर आगामी वर्ष में इन बच्चों के साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा पूरा ध्यान देकर इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है। साथ ही इन बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित सरकारी विद्यालयों, प्रशासन एवं परियोजना

स्टाफ द्वारा निरन्तर फॉलो-अप किया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बार प्रत्येक बच्चे के माता-पिता से सम्पर्क कर उसकी प्रगति उनको अवगत कराना एवं छात्र-छात्रा की नियमित उपस्थिति हेतु चर्चा की जाती है। साथ ही सरकारी विद्यालय में जाकर बच्चों की गतिविधियों पर अध्यापकों की सलाह ली जाती है एवं उपस्थिति व प्रगति का अवलोकन भी किया जाता है।

संस्थान द्वारा 1 मई, 2010 से संचालित तीन विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों का सफल संचालन कर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। वर्तमान में विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं-

क्र. सं.	संचालित विद्यालय	SC			ST			OBC			General			TOTAL		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	मुहामी	6	–	6	–	–	–	21	23	44	–	–	–	27	23	50
2.	नौलखा	3	–	3	–	–	–	17	30	47	–	–	–	20	30	50
3.	बूबानी	1	6	7	–	–	–	15	28	43	–	–	–	16	34	50
	योग	10	6	16	–	–	–	53	81	134	–	–	–	63	87	150

गतिविधियाँ

व्यावसायिक शिक्षा

बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष ज़ोर दिया जाता है, जिसमें बच्चों को स्वरोज़गार के प्रति जागरुक कर प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से मुख्यत: सिलाई, कढ़ाई, कुर्सी बुनाई, चारपाई, मिट्टी एवं लकड़ी के खिलौने, चाबी के छल्ले, बांस की टोकरियां, पंक्चर बनाना, ऊनी धागों से बान्दरवाल, स्वेटर, टोपी आदि का रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे बच्चे बड़े होने पर अपनी आजीविका अपनाते हुए अपने जीवन में सक्षम बन सकें।

स्वास्थ्य परीक्षण

बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का प्रतिमाह नियमित रूप से नज़दीकी उप स्वास्थ्य केन्द्र ए.एन.एम. या सरकारी डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। इसके अन्तर्गत बच्चों का वज़न, ऊँचाई, ख़ून की जाँच, आँखों की जाँच, विटामिन ए का घोल तथा दवाइयाँ देकर उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं।

मासिक अभिभावक बैठकें

विद्यालय प्रांगण में प्रतिमाह अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक में अभिभावकों से बच्चों को शिक्षा दिलवाने तथा जोखिमपूर्ण कार्य करने से रोकने की जानकारी देते हुए उन्हें बालश्रम कानून के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से अवगत भी करवाया जाता है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों से पृथक कर शिक्षा की ओर प्रेरित करना तथा यह जानकारी देना कि जोखिमपूर्ण कार्य करवाने से मालिक को 20 हज़ार रुपये जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं।

नियमित निरीक्षण

विद्यालयों का समय-समय पर परियोजना निदेशक, परियोजना फील्ड ऑफ़िसर, संस्थान प्रमुख गठित शिक्षा समिति, सरपंच एवं ग्रामीणों के साथ-साथ अन्य पंचायत समिति स्तर एवं ज़िला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पोषाहार, अनुशासन एवं अध्यापकों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

मासिक मूल्यांकन

बाल श्रमिक विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर बच्चों का हर माह मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें पढ़ाई के प्रति कमजोर बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाता है। साथ ही टी.एल.एम. सामग्री का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चों को 3 वर्ष में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करवाकर छठी कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ जाता है।

प्रतिदिन पोषाहार

बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को प्रतिदिन मिड-डे मील योजना से साप्ताहिक मैन्यू के आधार पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार दिया जाता है।

जनश्री बीमा योजना से जुड़ाव

संस्थान द्वारा जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों का बीमा करवाया गया। इसमें 100 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बालक प्रीमियम देय है, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही इन बच्चों के माता-पिता का भारतीय जीवन बीमा अन्तर्गत समूह बीमा करवाया गया, जिसमें बच्चों के साथ अभिभावक भी सुरक्षित हैं।

स्टाइफण्ड

अध्ययनरत बाल श्रमिक विद्यालय के बच्चों के लिए परियोजना द्वारा प्रतिमाह प्रति बच्चा 150 रुपये वज़ीफ़ा (स्टाइफण्ड) के रूप में बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में उन बच्चों के नाम खाता खुलवाकर राशि उनके खाते में जमा कराई जाती है। इस प्रकार परियोजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उनकी आर्थिक मदद भी कर रही है, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियाँ

बाल श्रमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वों के साथ-साथ महापुरुषों की जयन्तियाँ, बाल सप्ताह आदि मनाया जाता है। इसके माध्यम से महापुरुषों के जीवन से बच्चों को अवगत करवाया जाता है। उनसे प्रेरणा लेकर विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया जाता है।

बाल श्रम विरोधी रैलियाँ

बाल श्रमिक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों द्वारा ग्राम में समय-समय पर बाल श्रम विरोधी रैलियाँ, पल्स पोलियो रैली, पेड़ पौधों को काटने पर रोक लगाने जल संरक्षण अभियान रैली आयोडिन नमक सम्बन्धि रैलियाँ निकाली जाती हैं, जिसमें संस्थान व विद्यालय स्टाफ तथा ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग रहता है।

खेलकूद गतिविधि

वर्तमान में संचालित विद्यालयों में वर्ष में दो बार खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जिसमें तीनों विद्यालय के बच्चों को निश्चित स्थान पर इकट्ठा कर उन बच्चों के साथ चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, बोरी दौड़, रुमाल झपट्टा, ऊँची कूद, लम्बी कूद, दौड़, कबड्डी, क्रिकेट, रस्सा खींच आदि प्रतियोगिताएं होती हैं। इसके साथ–साथ प्रतिवर्ष बाल सप्ताह कार्यक्रम समर कैम्प आदि विद्यालय में मनाया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को संस्थान द्वारा उचित इनाम दिया जाता है।

दानदाताओं का योगदान

विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय मुहामी, नौलखा, बूबानी में चल रहे शिक्षा कार्यक्रम में उन बच्चों को शामिल किया गया जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्था के सचिव व शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी के प्रयासों से विद्यालय में अध्यनरत बच्चों के लिए समय–समय पर दानदाताओं के कर कमलों से स्वेटर ड्रेस, दरियां आदि की व्यवस्था करायी गई। जिसमें मुहामी व बूबानी विद्यालय के बच्चों के लिए बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के सहायक प्रबन्धक श्री राजेन्द्र सिंह जी द्वारा ड्रेस, स्वेटर, दरियां वितरित की गई तथा नौलखा विद्यालय के बच्चों को भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धक मुकेश द्विवेदी द्वारा स्वेटर वितरित किये गये।

उपलब्धियाँ

- बाल श्रम की संख्या में कमी हो।
- बच्चों व अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ना।
- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर लाभ उठाना।
- परियोजना से संचालित विद्यालयों में अध्यनरत बच्चों को शिक्षा के अलावा आजीविका वर्द्धन हेतु प्रशिक्षण में निपुर्ण होना।

भागीदारी

- बाल श्रमिक परियोजना फिल्ड अधिकारियों द्वारा।
- संचालित बाल श्रमिक विद्यालयों के समस्त स्टाफ गणों द्वारा।
- संचालित बाल श्रमिक विद्यालयों के समस्त बच्चों द्वारा।
- बच्चों के माता–पिता व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा।
- ग्रामवासियों व गणमान्य लोगों द्वारा।

बाल श्रम के प्रति संस्थान की भूमिका

संस्थान का मुख्य उद्देश्य बालकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। लगभग सभी संस्थाएं बालकों के काम करने को शोषण के रूप में समझती हैं तथा बाल मज़दूरी के प्रति संवेदनशील हैं। संस्थान अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाल श्रम प्रथा तथा बाल श्रमिकों के कार्य करने के ख़िलाफ़ समाज में चेतना पैदा कर रही है साथ ही बाल श्रमिक बच्चों के माता–पिता से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें सामूहिक रूप से इस समस्या की गम्भीरता के प्रति जागरुक कर बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित कर रही है। जिससे हर बच्चा शिक्षित हो।

200 महिला स्वयं सहायता समूह गठन कार्यक्रम (नाबार्ड)
200 Self Help Group Formation Programme (Nabard)

ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी, अजमेर के द्वारा व राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जयपुर के वित्तिय सहयोग से संस्थान अजमेर जिले की तीन पंचायत समिति श्रीनगर, सिलोरा व भिनाय के गाँवों में स्वयं सहायता समूह गठन परियोजना 1 जनवरी 2010 से प्रारम्भ किया गया था। इस परियोजना में जो महिलाऐं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली निर्धन व वंचित समूहों से जोड़ कर उनको आत्मनिर्भर बनाना है। परियोजना में समूह से जुडी महिलाओं को बैंक से जोड़ना और उनकी आजीविका संवर्धन हेतु प्रशिक्षण देना क्षेत्र विशेष में उपलब्ध सामाजिक समस्याऐं बाल श्रम, बाल विवाह, बालिका शिक्षा पर भी कार्य करना इस परियोजना में संस्थान ने मार्च 2012 तक 200 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लिया है व सभी महिला समूहों को बैंक से जोडा गया है।

उद्देश्य

- समूहों का क्षमता वर्द्धन करना ताकि वह अपना विकास कर सके तथा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकें।
- महिलाओं की ग्राम पंचायत एवं सरकारी कार्यक्रमों में भगीदारी बढ़ाना।
- महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना।
- महिलाओं के समूहों को संगठित करने का प्रयास करना एवं महिला मंच का गठन करना।
- महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करके अपने लडका लडकीयों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करना।

गतिविधियाँ

- **महिलाओं का चयनः**- ग्रामीण बैंक में समान विचारधारा व आर्थिक स्तर के साथ-साथ आपसी सहयोग व एकता की भावना वाले महिला सदस्यों का चयन कर समूह गठन करना। ताकि लम्बे समय तक समूह का संचालन किया जा सके।

संयुक्त देयता समूह कार्यक्रम (नाबार्ड)
(Joint Liblities Group Programme (Nabard)

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जयपुर के वित्तिय सहयोग व ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी अजमेर राजस्थान के द्वारा अजमेर जिले की दो पंचायत समितियों श्रीनगर, सिलोरा में 100 संयुक्त देयता समूह का गठन संस्थान किया गया है। इन समूहों में उन किसानों को जोडा जो बटाई दारों तथा मौखिक पट्टेदारों के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। चुंकि इन किसानों के पास भूमि का मालिकाना अधिकार नहीं होते है और वह बैंक से ऋण प्राप्त कर के प्रतिभूति देने में असमर्थ रहते हैं, लिहाजा यें बैंक ऋण से वंचित रह जाते हैं। बैंकों से ऋण न मिल पाने के कारण छोटे/सीमान्त/काश्तकार/बटाईदार/मौखिक पट्टेदार किसान

साहुकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने के लिए विवश होकर न केवल ऋण के दुश्चक्र में फंस जाते हैं जिससे यह किसान खेती की आधुनिक तकनीकी भी नहीं अपना पाते जिसका सीधा परिणाम उत्पादकता पर पड़ता है इसलिए ऐसे किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके क्योंकि बैंक अपने ऋण और ग्राहक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तो इच्छुक हैं। लेकिन छोटी-छोटी राशियों में बैंक ऋण नहीं दे पाते हैं क्योंकि ऋण की लेन देन लागत काफी अधिक आती है इस लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ऐसे किसानों को बैंकों से कम ब्याज दरों पर ऋण लेने में समक्ष बनाने के उद्देश्य से देयता समूह योजना प्रारम्भ की है। इसमें संस्थान द्वारा 2011-2012 में 100 नये समूह का गठन किया है इनको बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक किशनगढ़ व भारतीय स्टेट बैंक किशनगढ़ से जोडकर लोन दिलवाया गया है जिससे इन किसानों का कृषि की तरफ रुझान बढने लगा है और किसानों को आजीविका वर्द्धन में भी सहायक हो रहे।

उद्देश्य

- ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी व राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को बैंक से जोड़ने व विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलवाना।
- समूह देयता समूह व बैंक के मध्य आपसी विश्वास तथा सदभाव उत्पन्न करना।
- समूह अवधारणा, कलस्टर अवधारणा, फेडरेशन अवधारणा के सदस्यों को शिक्षित करके तथा उनमें ऋण अनुशासन की भावना पैदा करके बैंकों से ऋण दिलवाकर उनका जोखिम कम से कम करना।
- संयुक्त देयता समूह प्रणाली के द्वारा कृषि उत्पादन तथा जीविका के अवसर उत्पन्न करके निर्धन वर्ग को सुरक्षा उलब्ध कराना।.
- किसानों को खास तौर पर छोटे/सीमान्त/काश्तकार/बटाईदार/मौखिक पट्टेदार किसानों के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाना।
- आधुनिक तकनीकी से कृषि में मदद करना।

गतिविधियां

- छोटे-छोटे किसानों का एक संगठन के रूप में कार्य करना।
- किसानों को उन्नत कृषि के लिए प्रशिक्षण देना।
- किसानों द्वारा समूह के रूप में खाद्य बीज खरीदना।
- किसानों का अन्य स्थानों पर भ्रमण करवाना।

किसान क्लब कार्यक्रम (नाबार्ड)
Kisan Club Programme (Nabard)

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) व ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी अजमेर के द्वारा किसान क्लब गठन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा। यह किसान क्लब अजमेर जिले की पंचायत समिति

श्रीनगर व पीसांगन में 100 किसान क्लब ग्रामीण महिला विकास संस्थान के द्वारा संचालित किया जा रहा है। क्यों कि क्लबों के गठन से किसान तैयार हो रहा है उनके बोलने के लिए एक मंच मिल रहा है।

उद्देश्य

संस्थान द्वारा किसान क्लबों का गठन करने के मुख्य उद्देश्य यह है की तकनीकी विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना, बहियों का रख-रखाव, बैंकों सम्बद्ध सरकारी विभागों आदि के साथ समन्वय करना, राज्य के कृषि शोध संस्थानों कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि के साथ समन्वय करना, नाबार्ड या प्रायोजक बैंक/ एजेंसी के प्रशिक्षित अधिकारियों की मदद से क्लब के सदस्यों को आधार स्तरीय उन्मुखता प्रशिक्षण देकर किसानों व देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना है।

गठन प्रक्रिया

- किसान क्लब में कम से कम 10 सदस्य अवश्य हों।
- आदर्श किसानों जो पहले सही प्रकार से ऋण का उपयोग कर चुके हों स्वैच्छिक कार्य करने के लिए इच्छुक तथा सक्षम हो को क्लब के सदस्यों के रूप में चुना जाए क्लब की सफलता काफी हद तक सदस्यों के सही चयन पर निर्भर करती है।
- प्रत्येक क्लब में दो पदाधिकारी होंगे एक मुख्य समन्वयक पदाधिकारियों का चयन क्लब के सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। पदाधिकारी क्लब के परिचालन के ही निवासी है।
- पदाधिकारी के प्रमुख कार्य क्लब की बैठकें आयोजित करना, तकनीकी विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना, बहियों का रख-रखाव, बैंकों सम्बद्ध सरकारी विभागों आदि के साथ समन्वय करना राज्य के कृषि विश्वविद्यालय शोध संस्थाओं कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि के साथ समन्वय करना, नाबार्ड या प्रायोजक बैंक/एजेन्सी के प्रशिक्षित अधिकारियों की मदद से क्लब के सदस्यों को आधार स्तरीय उन्मुखता प्रशिक्षण देना आदि।
- सभी क्लबों का बचत खाता बैंक में होना चाहिए।

गतिविधियां

- किसान क्लब अपने परिचालन क्षेत्र की ऋण तथा गैर ऋण सम्बंधी आवश्यकताओं जैसे- जागरुकता, सृजन, तकनीकी, अंतरण क्षमता निर्माण प्रशिक्षण गाँव के वांछित सामाजिक आर्थिक बुनियादी सुविधाओं बाजार तक पहुंच जुटाना।
- एक महीने में कम से कम एक बार क्लब की बैठक आयोजित करना। गैर सदस्यों को भी इन बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना् चाहिए। जिससे दूसरे किसानों को भी क्लब के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
- कृषि तथा सम्बन्धित गतिविधियों के विषय में विशेषज्ञों से वार्ता करनी चाहिए और समय-समय पर उनसे मिलना चाहिए जिससे कृषि के लिए नवीन जानकारी प्राप्त की जा सके।

- किसान क्लबों को बाजार व कारपोरेट घरानों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।
- किसानों को व्यवसाय तथा उद्यम- उन्मुख बनाना।
- हित समूह, संयुक्त देयता समूह स्वयं सहायता समूह आदि बनवाना।
- प्रगतीशील किसानों के खेतों, कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि के एक्सपोजर विजिट करवाना।
- सदस्यों की और से थोक में खाद बीज आदि खरीदने हेतु कारपोरेट इनपुट आपूतिकर्ताओं के साथ सम्पर्क साधना।
- वित्तिय साक्षरता बढ़ाना तथा ऋण सम्बन्धि परामर्श सहायता उपलब्ध करना वित्तिय समावेशन में मदद करना बिजनिस कारसपाण्डेट, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करना।
- सामाजिक आर्थिक गतिविधियों करवाना जैसे सामुदायिक कार्य, शिक्षा स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन आदि।

किसान क्लबों का महासंघ

ग्रामीण महिला विकास संस्थान नाबार्ड के सहयोग से किसानों के स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों या किसान क्लबों में से सदस्य नामित करके ये महासंघ बनायेगी यह महासंघ विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम/खण्ड/क्षेत्र तथा जिला स्तर पर कार्य कर सकते हैं तथा ये शीर्षस्थ संस्था के रूप में आधार स्तर पर बने किसान महासंघों। किसान क्लबों किसान हित समूहों स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्राम स्तर पर महासंघ के रूप में जिला स्तर पर अपने के माध्यम से ग्राम स्तर पर तथा महासंघ के रूप में जिला स्तर पर अपने कार्यकलाप प्रभावी तरीके से करेंगे किसान क्लब किसान हित समूह किसानों तथा महासंघों के बीच सेतु का काम करेंगे। आदर्श रूप से एक या उससे अधिक जिले महासंघ के कार्यक्षेत्र में शामिल किए जा सकते हैं। यह निर्णय महासंघ की आम सभा में लिये जा सकेंगे इनका प्रमुख उद्देश्य अपने कार्यक्षेत्र में भ्रमण रूप से कृषि का विकास करते हुए जागरूकता कौशल विकास कार्यक्रम करवाना तकनीक अंतरण अच्छी किस्म के इनपुट की आपूर्ति उत्पादन तथा उत्पादकता आदि में सुधार लाकर सर्व समावेशी वित्तीय सेवाऐं प्रदान करके क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं तथा विकास के अन्य कार्यक्रम चलाकर किसानों को समग्रता समृद्ध बनाना है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कौशल प्रशिक्षण एवं आय वर्द्धन गतिविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

For Self Help Group Womens Economice Empropment Through Skill Training And Income Generate Activity Training Programme

पृष्ठभूमि

हंस फाउण्डेशन नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग एवं ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी, अजमेर के द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला अजमेर के पंचायत समिति श्रीनगर के 20 गाँवों में संचालित कुल 100 स्वयं सहायता समूह के 1020 समूह सदस्यों के साथ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह का गठन कर उद्यमिता के क्षेत्र में विकास करना जिससे की स्वयं महिलाओं द्वारा

सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना और स्वयं उद्यमिता विकास कर सके स्वयं ही हस्तनिर्मित उत्पाद को मार्केट में विक्रय कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लायें।

कार्यक्रम का उद्देश्य

- स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लघु उद्यमिता आयवर्द्धन कौशल प्रशिक्षण देना जिससे की महिलाऐं स्वयं लघु उद्योग चलाने में सक्षम हो सकें।
- महिलाओं को जीवन यापन शिक्षा कौशल प्रशिक्षण देना जिससे की महिलायें स्वयं अपने अधिकार कर्तव्य भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हों।
- महिलाओं के मुद्दों को विभिन्न स्तरों पर उठाने हेतु जिले स्तर पर मंच बनाने के लिए सहयोग करना।
- महिलाओं में सम्प्रेषण एवं नेतृत्व कौशल का विकास करना। जिससे की महिलाओं में हक से बोलने की इच्छा शक्ति का विकास हो।
- नये स्वयं सहायता समूह के प्रबन्धन की और अग्रसर एवं पहचान विकसित करना।
- गरीब पिछड़े समाज की महिलाओं की आजीविका को बेहतर बनाने के लिये मार्केट विक्रय विपणन सुविधाऐं उपलब्ध कराना।

रणनीति

- परियोजना में महिलाओं के लघु उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण के लिये महिला शिक्षा, महिला अधिकार, महिला स्वास्थ्य व महिलाओं के कानून आदि मुद्दों पर भी कार्य करने का प्रयास करेगी।
- आय वर्द्धन और कौशल प्रशिक्षण के तहत महिलायें स्वयं एक संगठन बनाकर घर पर ही लघु उद्योग चला सकेंगी।
- महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति आवाज उठाने के लिये मंच प्रदान करना।

गतिविधियाँ

1. **प्रथम प्रशिक्षण- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु आय वर्द्धन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम** इस गतिविधि अन्तर्गत ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह का गठन कर ग्रामीण अनपढ़ महिलाओं के आर्थिक सामाजिक व राजनैतिक स्तर में बढावा लाने के लिए प्रयासरत है। महिला के खुलापन सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर के दौरान विचारों एवं अनुभवों के आदान प्रदान में मुक्त रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो सके महिलाओं के बेहतर प्रबन्धन क्षमतावर्द्धन नेतृत्व की भावना विकसित कर सके सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना नकारना व रोकना कमी लाना उनकी भूमिका, दायित्व के अधिकार देना। बालविवाह, दहेज, किशोरावस्था में गर्भधारण की बाधाओं पुरुषों द्वारा शराब सेवन घरेलू हिंसा लिंग भेद की रोकथाम व देखभाल आदि जाने हुए अन्तर को कम करना व इसके विरूद्ध आवाज उठाना।

2. **द्वितीय प्रशिक्षण- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु लघु उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम**- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा स्वयं सहायता समूह की

महिलाओं को लघु उद्यमी प्रशिक्षण देना जिससे की महिलायें स्वयं ही हस्तनिर्मित उत्पाद को मार्केट में विक्रय कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। जैसे:- ठोस अपशिष्ट प्रदार्थ, उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्टिंग द्वारा खाद बनाना एवं फूड एण्ड फ्रूट प्रशिक्षण सम्बन्धि जानकारी एवं प्रशिक्षण दिलाना इससे महिलाओं में आपस में लघु उद्यम के बारे में समझ विकसित करना और महिलाओं को अपना उत्पाद बेचने में अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

3. **तृतीय प्रशिक्षण- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उत्पाद सम्बन्धि प्रशिक्षण**- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उत्पाद सम्बन्धि प्रशिक्षण देना कि किस तरह से उत्पाद का बिक्री मूल्य निर्भर करता है उत्पाद की बनावट, पैकेजिंग, गुणवत्ता आदि अगर उत्पाद में ये गुण हो तो उत्पाद को मार्केट में बेचने में आसानी होगी। महिलाओं के साथ उत्पाद के फायदे व हानियों के बारे में चर्चा करना। जिससे की महिलाओं का आर्थिक स्तर ऊँचा उठा सके।

उपलब्धियाँ

- स्वयं सहायता समूह के आत्मविश्वास, समझ, समूह एकता, नेतृत्व शक्ति सहयोग कौशल व क्षमतावर्द्धन में वृद्धि।
- आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिये स्वयं महिलाओं द्वारा प्रबन्धन करना जैसे कि फूड एण्ड फ्रूट प्रोसेसिंग, हर्बल गाडनिंग एवं वर्मीकम्पोस्टिंग।
- महिलाओं द्वारा लघु उद्यमिता सम्बन्धि कार्य करना।
- स्वयं सहायता समूह फैडरेशन को फ्रेम वर्क प्रदान करना।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर
श्रम मंत्रालय (भारत सरकार)

पृष्टभूमि

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी के द्वारा अजमेर जिले के भिनाय, पीसांगन, सिलोरा व श्रीनगर पंचायत समितियों में मेटों व महिलाओं को 20.11.2011 में स्वरोजगार अधिकार महानरेगा कानून इत्यादि पर प्रशिक्षण दिया गया यह प्रशिक्षण संस्थान ने अपने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दिया गया है जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का क्षमतावर्द्धन करने में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड श्रमिकों को प्रशिक्षण देती है। जैसे महानरेगा श्रमिक, दिहाडी श्रमिक, बीडी श्रमिक इत्यादि हैं।

पंचायत समिति स्तर पर मेटों को प्रशिक्षण

केन्द्रीय श्रमिक बोर्ड जयपुर व ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी अजमेर जिले की चार पंचायत समितियों में 400 मेटों को प्रशिक्षण देकर तैयार किये हैं इन मेटों को महानरेगा में किस प्रकार से मस्टर रोल को

भरना, मिट्टी का नाम, काम करवाने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित किया है, जिससे इन श्रमिकों को सही प्रकार से कार्य करने आदि के बारे में बताया गया है।

एस.सी./एस.टी. महिलाओं को प्रशिक्षण

केन्द्रिय श्रमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर व ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी के द्वारा 120 महिलाओं को दलितों के कानूनों को व अधिकार के लिए तीन गाँवों में 40-40 के बेच में प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में केन्द्रिय श्रमिक बोर्ड जयपुर के अधिकारी व संस्थान के कार्यकर्त्ता व ग्राम पंचायत के सन्दर्भ व्यक्तियों ने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है ताकि उनसे अधिकारों व कानून के बारे में जानकारी मिली व और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जा सके आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है।

महानरेगा पर महिलाओं को प्रशिक्षण

केन्द्रिय श्रमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर व ग्रामीण महिला विकास संस्थान ने तीन पंचायत समितियों में 280 महिलाओं को महानरेगा के लिए प्रशिक्षण दिया यह प्रशिक्षण 7 गाँवों की महिलाओं को 40-40 बेच में प्रशिक्षण दिया गया जिससे महिला किस प्रकार से ग्राम पंचायत में जाकर 100 दिन के रोजगार के लिए आवेदन करे दैनिक मजदूरी का आकलन इत्यादि पर प्रशिक्षण दिया गया है।

केन्द्रिय श्रमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर श्रम मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले श्रमिकों को प्रति दिन 100 रु. का दैनिक भत्ता भी दिया जाता है यह भत्ता इसलिये देते हैं कि श्रमिक दो दिन प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसके लिए व उनके परिवार पर कोई बुरा असर नहीं पड़े और श्रमिक प्रशिक्षण में रूचि ले सके।

स्वरोजगार हेतु ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण

बडौदा स्वरोजगार संस्थान अजमेर के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान के मार्गदर्शन में 25 महिलाओं व लड़कियों को राजारेडी किशनगढ़ में एक महीने तक प्रशिक्षण दिया गया है इस प्रशिक्षण में ब्यूटी पार्लर क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है और कैसे करते हैं? प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार करने में सक्षम हो और महिलाऐं व लड़कियों का स्वयं का ब्यूटी पार्लर खोल कर अपनी आजीविका चला सके व आत्मनिर्भर बनने में यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण योगदान देता है इस प्रशिक्षण में आयुर्वेदिक कोस्मेटिक व प्राकृतिक तीनों प्रकार की विधियों से किस प्रकार ब्यूटी पार्लर होता है। प्रशिक्षण का शुभारम्भ बैंक ऑफ बडौदा के एल.डी. एम. श्रीमान एम.टी. वाधवानी व बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान के निर्देशक राधारानी उपाध्याय के द्वारा किया गया था इस प्रशिक्षण में लगभग चार स्वयं सहायता समूह के सदस्य थे ग्रामीण महिला जाग्रति फेडरेशन से जुडे समूह सदस्यों को स्वरोजगार के प्रशिक्षण महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण में महिलाओं को थ्योरी व प्रेक्टीकल दोनों विधियों से समझाया गया है।

संस्थान पंचायत समिति भिनाय में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य महिला सशक्तिकरण एवं जागरुकता कार्यक्रम मुख्य है। वर्तमान में संस्था पंचायत समिति भिनाय के 47 गाँवों में कार्यरत है।

संस्थान को 2011-2012 में अवार्ड व पुरस्कार

1. राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित- ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी, अजमेर को सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ग्लोबल अचीवर्स फाउण्डेशन, नई दिल्ली में श्रीमान शंकर सिंह रावत (सचिव) ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बूबानी को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया है। संस्थान द्वारा महिला सशक्तिकरण स्वास्थ्य शिक्षा प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में विश्वसनीय कार्य करने के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

2. बैंक लिंकेज के लिए प्रथम अवार्ड- ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी अजमेर को राजस्थान में बैंक लिकेज के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जयपुर ने प्रथम स्थान प्रास करने पर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया संस्थान 2010-2011 में 250 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोडने पर मिला है।

3. क्रेडिट लिंकेज के लिए द्वितीय अवार्ड- ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी को राजस्थान राज्य में बैंक लोन दिलवाने के लिए 2010-2011 वित्तीय वर्ष में संस्थान ने 1 करोड 87 लाख रुपये का बैंक लोन संस्था द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को दिलवाया गया है इसके लिए नाबार्ड जयपुर ने द्वितीय स्थान पर रहने के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस प्रकार से संस्थान ने बैंक लिकेज व बैंक लोन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है इसी कार्यों के लिए संस्थान को सम्मानित किया गया है।

4. राजीव गाँधी अवार्ड से सम्मानित- ग्रामीण महिला विकांस संस्थान, बूबानी के सचिव शंकर सिंह रावत को फ्रेंडशिप सोसायटी, नई दिल्ली की ओर से श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा व ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक उत्थान एवं आजीविका वर्धन गतिविधियों से जोड़ने के लिए राजीव गाँधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

5. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से सम्मानित- ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बूबानी को सम्पूर्ण राजस्थान में बैंक से महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर बैंक से सर्वाधिक लोन दिलवाने के लिए।

संस्थान की मुख्य गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

- जल चेतना, स्वास्थ्य, कृषि योजना, पल्स पोलिया आदि सरकारी अभियानों में अहम भूमिका निभाना।
- ग्राम विकास कमेटी, महिला स्वयं सहायता समूह आदि संगठनों का निर्माण।
- बाल श्रमिक उन्मूलन एवं उनका शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ाव एवं मासिक स्टाईफण्ड उपलब्ध करवाना।
- बेहतर पशुपालन को बढ़ावा एवं नस्ल सुधार।
- उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग एवं बेहतर पैदावार में बढ़ावा देना।
- साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज प्राप्त करने से छुटकारा दिलाने के लिए अधिक से अधिक महिला समूहों की स्थापना एवं कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाना।
- सुरक्षित प्रसव एवं शिशु मृत्यु दर में कमी।
- किसान क्लब एवं समूह संघ जैसे बड़े मंचों का गठन।

- पुस्तकालय कार्यक्रम के तहत बच्चों को रचनात्मक कौशल एवं पुस्तक पढ़ने के प्रति प्रेरित करना।
- अकाल राहत के तहत चारा डिपो का संचालन।
- महिला स्वयं सहायता समूह के लिए मार्केट ऑउटलेट की स्थापना।

संस्था की भावी सोच

- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ाना।
- वन संरक्षण एवं पर्यावरण चेतना में जागरूकता लाना।
- जैविक खाद उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करना व शेड निर्माण करवाना।
- पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करना।
- उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी देना व अपनाने हेतु प्रेरित करना।
- बाल श्रम उन्मूलन एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
- पशु संरक्षण एवं नस्ल सुधार हेतु जागरूकता पैदा करना।
- महिलाओं को प्राकृतिक संसाधनों के उपयुक्त दोहन की जानकारी देना एवं आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करना
- महिला संगठनों एवं किसान क्लबों का गठन करना।
- जल संरक्षण कार्यों को अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाना।
- पुस्तकालयों के माध्यम से बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की आदत का विकास करना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन की स्थापना करना।

सहयोगी संस्थाएं

1. नाबार्ड जयपुर
2. अरावली, जयपुर
3. हंस फाउण्डेशन, नई दिल्ली
4. श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
5. सेन्टर फॉर माइक्रोफाईनेन्स, जयपुर
6. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर
7. सर रतन टाटा ट्रस्ट मुम्बई
8. भारतीय जीवन बीमा निगम, अजमेर
9. रूम टू रीड, जयपुर
10. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जयपुर
11. क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, अजमेर

संस्थान की वर्तमान कार्यकारिणी

1.	श्री अनिल कुमार माथुर	अध्यक्ष
2.	श्री मनोज शर्मा	उपाध्यक्ष
3.	श्री शंकरसिंह रावत	सचिव
4.	श्री शम्भूसिंह रावत	कोषाध्यक्ष
5.	श्रीमति रविन्द्र तनेजा	कार्यकारिणी सदस्य
6.	श्रीमति वीना अरोड़ा	कार्यकारिणी सदस्य
7.	श्रीमति रतना देवी	कार्यकारिणी सदस्य
8.	श्रीमति कविता जैन	कार्यकारिणी सदस्य
9.	श्रीमति अनुराधा	कार्यकारिणी सदस्य

संस्थान के वर्तमान कार्यकर्तागण

क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	कार्यानुभव
1.	शंकर सिंह रावत	निदेशक	15 वर्ष
2.	राकेश दाधीच	कार्यक्रम अधिकारी	2 वर्ष
3.	गजानन्द बोकोलिया	फैडरेशन मैनेजर	7 वर्ष
4.	शम्भूसिंह रावत	समन्वयक SHG कार्यक्रम	14 वर्ष
5.	पूनम वाधवानी	वरिष्ठ लेखाकार	2 वर्ष
6.	विजय सिंह रावत	परियोजना अधिकारी एन.सी.एल.पी.	12 वर्ष
7.	रणजीत जाट	परियोजना अधिकारी भिनाय	9 वर्ष
8.	महेन्द्र सिंह रावत	क्षेत्र समन्वयक फैडरेशन SHG कार्यक्रम	3 वर्ष
9.	घनश्याम सादावत	क्षेत्र समन्वयक फैडरेशन SHG कार्यक्रम	6 वर्ष
10.	दशरथ प्रजापत	क्षेत्र समन्वयक फैडरेशन SHG कार्यक्रम	2 वर्ष
11.	सीमा देवी मेघवंशी	सहायिका	4 वर्ष
12.	राधेश्याम मेघवंशी	प्रधानाध्यापक, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, मुहामी	9 वर्ष
13.	महावीर सिंह रावत	प्रधानाध्यापक, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, नौलखा	9 वर्ष
14.	राजेश सिंह रावत	प्रधानाध्यापक, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, बूबानी	2 वर्ष
15.	ज्ञान सिंह रावत (प्रथम)	अध्यापक, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, मुहामी	6 वर्ष
16.	पवन कुमार खींची	अध्यापक, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय,, नौलखा	8 वर्ष
17.	दीपक कुमार मौर्य	अध्यापक, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, बूबानी	2 वर्ष
18.	मंगल चन्द	अध्यापक, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, मुहामी	1 वर्ष
19.	सूर्य प्रकाश मेघवंशी	अध्यापक, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, नौलखा	1 वर्ष
20.	राकेश रेदास	अध्यापक, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, बूबानी	2 वर्ष
21.	नीरा सिंह रावत	अध्यापक, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, मुहामी	10 वर्ष
22.	ज्ञान सिंह रावत (द्वितीय)	अध्यापक, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, बूबानी	2 वर्ष
23.	कमला देवी रावत	सहायिका, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, मुहामी	10 वर्ष
24.	गाँधी देवी रावत	सहायिका, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, बूबानी	2 वर्ष
25.	रुकमा देवी रावत	सहायिका, विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, नौलखा	8 वर्ष
26.	प्यारे लाल खींची	सहजकर्ता पुस्तकालय कार्यक्रम, केकड़ी	4 वर्ष
27.	कृष्ण गोपाल सेन	सहजकर्ता पुस्तकालय कार्यक्रम, केकड़ी	4 वर्ष
28.	गोपाल लाल कीर	सहजकर्ता पुस्तकालय कार्यक्रम, केकड़ी	4 वर्ष
29.	रामेश्वर प्रसाद गुर्जर	सहजकर्ता पुस्तकालय कार्यक्रम, केकड़ी	4 वर्ष
30.	जयदेव गुर्जर	सहजकर्ता पुस्तकालय कार्यक्रम, भिनाय	3 वर्ष
31.	मिठ्ठू लाल मेघवंशी	सहजकर्ता पुस्तकालय कार्यक्रम, भिनाय	3 वर्ष
32.	बच्छराज जाट	सहजकर्ता पुस्तकालय कार्यक्रम, भिनाय	3 वर्ष
33.	रामदयाल चौधरी	सहजकर्ता पुस्तकालय कार्यक्रम, भिनाय	3 वर्ष
34.	दिनेश कुमार शर्मा	सहजकर्ता पुस्तकालय कार्यक्रम, भिनाय	3 वर्ष

GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN

CONSOLIDATED ARBRIDGED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2012

EXPENDITURE	AMOUNT ₹	INCOME	AMOUNT ₹
To **Project Exp.**		By **Grant Received**	
LIC	50844.00	SRTT	200000.00
Hans Foundation	575520.00	CMF	36000.00
RCH	19819.00	NABARD	42000.00
NCLP	883176.00	LIC	3861.00
SHG Fedration	658750.00	CUTS	2100.00
FCRA	1244988.00	ICICI	51561.00
Other	71191.00	Hans Foundation	575520.00
To **Genral, SRTT, SWB Expenses**		NCLP	882679.00
Rent	60000.00	Room to Read India	1157962.00
Staff Travling Exp.	34930.00		
Staff Salary	46500.00	By Other Income	136222.00
Interest on Loan	41293.00	By Jan Sahyog	489401.00
Depreciation	62027.32	By Deficit	246025.20
Staff walfare Exp.	19020.00		
Website Exp.	3545.00		
Other Exp.	50477.88		
To Refund to SRTT	1250.00		
	3823331.20		**3823331.20**

CONSOLIDATED ARBRIDGED BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2012

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
General Fund	645373.63	Fixed Assets	771999.70
Unsecured Loan	248000.00	**Grant Receivable**	
Motorcycle Loan	83965.00	CRECHE (RGNCP)	21604.00
		NCLP	82699.00
		ICICI	20876.00
		LIC	4559.00
		TDS Receivable	22641.00
		Cash in hand	12888.00
		Cash at Bank	40071.93
	977338.63		**977338.63**

In terms of our Audit Report even date attached.

For DSS & ASSOCIATES
Chartered Accountants

(S.S. Verma)
Partner

D.S.S. & ASSOCIATES, CA, FRN:015683C, Chartered Accountants

Place: Jaipur
Dated:21.08.2012

For GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN

Secretary

SECRETARY
Gramin Mahila Vikas Sansthan
Bubani (Kishangarh)
Distt. Ajmer (Raj.) 305801

विकास की कतिपय झलकियाँ

संस्था के सचिव श्री शंकर सिंह रावत को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर राजीव गाँधी अवार्ड से सम्मानित करते हुए।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित समारोह में जे. एल. जी. किसानों के समूह को ऋण हेतु चैक प्रदान करते हुए।

महिला मेला कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आई.सी.आई.सी.आई बैंक का चैक श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ़, शिक्षा राज्य मंत्री, राज. सरकार द्वारा वितरित।

एस.एच.जी. की महिलाओं को हंस फाउण्डेशन, दिल्ली के सहयोग से लघु उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेती हुई महिलाएँ।

विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय, बूबानी के मिड-डे मील पोषाहार ग्रहण करते हुए

एस.एच.जी. ग्रुप को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा राजस्थान में सबसे अधिक ऋण दिलवाने हेतु श्री अनिल कौल महाप्रबन्धक द्वारा संस्था के सचिव श्री शंकर सिंह रावत को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करते हुए।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर के सहयोग से महा नरेगा के मेट को प्रशिक्षण देते हुए।

महिलाओं द्वारा की गई उन्नत मूंग की फसल का सी.एम.एफ., जयपुर द्वारा मूल्यांकन करते हुए।

सेवा की ओर बढ़ते कदम ...

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

मुख्य कार्यालय
पटाखा फैक्ट्री के पास, राजा रेडी (सुमेर नगर)
मदनगंज–किशनगढ़ – 305 801
ज़िला–अजमेर (राजस्थान) भारत
फोन – +91–1463–245642
मोबाईल – +91–9672979032
ई–मेल– bubanigmvs@gmail.com
Visit us : www.gmvs.org.in

GMVS

पंजीयन कार्यालय
मु. पो. बूबानी
वाया–गगवाना – 305 023
ज़िला–अजमेर (राजस्थान) भारत
मोबाईल – +91–9928170035
ई–मेल– gmvsajmer@gmail.com

मुद्रक : प्रगति प्रिन्टर्स, अजमेर. फोन : 2421887